



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 452]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 1, 2016/आषाढ़ 10, 1938

No. 452]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 1, 2016/ASADHA 10, 1938

पोत परिवहन मंत्रालय

(पत्तन स्कंध)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2016

सा.का.नि. 647(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित, धारा 124 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा कोलकाता पत्तन न्यास के न्यासी मंडल द्वारा बनाए गए कोलकाता पत्तन न्यास कर्मचारी (नियुक्ति, वरीयता व पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2016 को अनुमोदित करती है और इसे इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट किया गया है।

2. उक्त संशोधन विनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

अनुसूची

कोलकाता पत्तन न्यास कर्मचारी (नियुक्ति, वरीयता और पदोन्नति)

द्वितीय संशोधन विनियम, 2016

अधिसूचना

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोलकाता पत्तन न्यास एतद्वारा कोलकाता पत्तन न्यास कर्मचारी (नियुक्ति, वरीयता और पदोन्नति) विनियम, 2013 में संशोधन करने हेतु निम्न विनियम बनाता है बशर्ते कि उक्त अधिनियम की धारा 124 के अंतर्गत केन्द्र सरकार का अनुमोदन प्राप्त हो और सरकारी राजपत्र में प्रकाशित की जाए :-

1. लघुशीर्ष एवं प्रारम्भ :-

- ये विनियम कोलकाता पत्तन न्यास कर्मचारी (नियुक्ति, वरीयता और पदोन्नति) द्वितीय संशोधन विनियम, 2016 कहलाएंगे।
- ये महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 की धारा 124 व 132 के प्रावधानों के तहत अपेक्षित सरकारी राजपत्र में केन्द्र सरकार के अनुमोदन के प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

2. विनियम 4 के अंत में 'वर्ष' शब्द के पश्चात निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :-  
'किसी पद, जिसका पदधारी विभाग के अध्यक्ष के रूप में समझा जाता है, के मामले में केन्द्र सरकार द्वारा ; और अन्य किसी पद विभाग प्रमुख के स्तर से नीचे के मामले में, अध्यक्ष के द्वारा ।'

[फा. सं. पीआर -12012/9/2014-पीई-1]

बरुण मित्रा, संयुक्त सचिव

नोट - कोलकाता पत्तन न्यास कर्मचारी (नियुक्ति, वरीयता और पदोन्नति) विनियम, 2013 का मूल विनियम भारत सरकार के राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 15 अक्टूबर, 2013 के जीएसआर सं. 687(ई) के जरिए प्रकाशित हुआ था ।

## MINISTRY OF SHIPPING

(Ports Wing)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 1st July, 2016

**G.S.R. 647 (E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 124, read with sub-section (1) of Section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Kolkata Port Trust Employees' (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2016 made by the Board of Trustees for the Port of Kolkata and set out in the Schedule annexed to this Notification.

2. The said Amendment Regulations shall come into force on the date of publication of this Notification in the official Gazette.

### SCHEDULE

#### **KOLKATA PORT TRUST EMPLOYEES' (RECRUITMENT, SENIORITY AND PROMOTION) AMENDMENT REGULATION, 2016**

In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) the Kolkata Port Trust hereby makes the following Regulations to amend the Kolkata Port Trust Employees' (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulation, 2013 subject to approval of the Central Government under Section 124 of the said Act and publication in the Official Gazette.

1. **Short title and commencement:**
  - (i) These regulations may be called the Kolkata Port Trust Employees' (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulation, 2016.
  - (ii) These shall come into force from the date of publication of the approval of the Central Government as required under the provisions of Section 124 and 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 in the official gazette.
2. The following shall be added after the sentence, "In exceptional circumstance, this can be extended to five years", at the end of Regulation 4:-  
"by the Central Government in case of a post, the incumbent of which is regarded as the Head of a Department; and in the case of any other post below the level of Head of Department by the Chairman."

[F. No. PR-12012/9/2014-PE-1]

BARUN MITRA, Jt. Secy.

**Note:** The Principal Regulations, Kolkata Port Trust Employees' (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2013 was published in the Gazette of India (Extra-ordinary) vide G.S.R. No. 687 (E) dated 15.10.2013.

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2016

**सा.का.नि. 648(अ).**—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करके, केंद्र सरकार, मुंबई पत्तन के न्यासी मंडल द्वारा बनाये गये तथा इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में दर्शाये गये मुंबई पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2016 को एतद्वारा अनुमोदन प्रदान करती है.

2. उक्त संशोधन विनियम, इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे.

अनुसूची

मुंबई पोर्ट ट्रस्ट

मुंबई पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति)

संशोधन विनियम, 2016

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए, मुंबई पोर्ट का न्यासी मंडल, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) विनियम, 2010 में आगे संशोधन कर निम्न विनियम बनाता है.

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ :-

(i) ये विनियम मुंबई पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2016 कहलाये जायेंगे.

(ii) ये महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 की धारा 124 तथा 132 0के प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक केंद्र सरकार का अनुमोदन भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे.

2. मुंबई पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) विनियम, 2010 के विनियम 4 में - अनुच्छेद एक के अन्तिम वाक्य में "अपवादात्मक परिस्थितियों में, ——— पाँच वर्षों तक" निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किये जायें—

"अपवादात्मक परिस्थितियों में, विभाग प्रमुख का पदधारण करने वाले के मामले में केंद्र सरकार और विभाग प्रमुख के स्तर से नीचे के अन्य पद धारण करने वाले के मामले में अध्यक्ष द्वारा 5 वर्षों तक बढ़ायी जा सकती है."

[फा. सं. पीआर -12012/9/2014-पीई-1]

बरुण मित्रा, संयुक्त सचिव

**पाद टिप्पणी :** दिनांक 7.5.2010 के सा.का.नि. 387 (अ) के अनुसार प्रकाशित किए गए थे और बाद में उनमें निम्न प्रकार संशोधन हुए -

(i) दिनांक 21.4.2014 के सा.का.नि. 309(अ).

(ii) दिनांक 29.6.2016 के सा.का.नि. 518(अ).

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st July, 2016

**G.S.R. 648(E).**—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 124, read with Sub-section (1) of Section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Mumbai Port Trust Employees' (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2016 made by the Board of Trustees for the Port of Mumbai and set out in the Schedule annexed to this Notification.

2. The said Amendment Regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

**SCHEDULE****MUMBAI PORT TRUST**

Mumbai Port Trust Employees' (Recruitment, Seniority and Promotion)

Amendment Regulations, 2016.

In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Board of Trustees of the Port of Mumbai hereby makes the following regulations further to amend the Mumbai Port Trust Employees' (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2010, namely:

1. **Short Title and Commencement:-**

- (i) These Regulations may be called as the Mumbai Port Trust Employees' (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2016.
- (ii) They shall come into force on the date of publication of the approval of the Central Government as required under the provisions of Section 124 and 132 of the Major Port Trusts Act, 1963, in the Gazette of India.

2. In the Mumbai Port Trust Employees' (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2010, in Regulation 4, the last sentence of paragraph one "In exceptional circumstances, -----five years." shall be substituted by the following:

"In exceptional circumstances, this can be extended to 5 years by the Central Government in case of a post, the incumbent of which is regarded as the Head of a Department; and in the case of any other post below the level of Head of Department by the Chairman."

[F. No. PR-12012/9/2014-PE-I]

BARUN MITRA, Jt. Secy.

**Foot Note:** Principal Regulations published vide GSR 387 (E) dated 7.5.2010 and subsequently amended vide.

- (i) G.S.R. 309(E) dated 21.4.2014;
- (ii) G.S.R. 518(E) dated 29.6.2015.

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2016

**सा.का.नि. 649(अ).**—महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा कोचिन पोर्ट ट्रस्ट के न्यासी मण्डल द्वारा बनाए गए कोचिन पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2016 को अनुमोदन करती है और इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में व्यक्त करती है।

उक्त संशोधन विनियम सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

**अनुसूची**

कोचिन पोर्ट ट्रस्ट

कोचिन पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति)

संशोधन विनियम, 2016

महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोचिन पोर्ट के न्यासी मण्डल एतद्वारा कोचिन पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) विनियम, 2010 के पुनः संशोधन के लिए निम्नलिखित विनियम बनाते हैं, जैसे कि :-

1. **लघु शीर्षक एवं प्रारंभ**

(i) इन विनियमों को कोचिन पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2016 कहा जा सकता है।

(ii) ये विनियम भारत के राजपत्र में महा पत्तन न्यास अधिनियम 1963, की धारा 124 एवं 132 के प्रावधानों के अंतर्गत यथा अपेक्षित केन्द्र सरकार के अनुमोदन के प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. कोचिन पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) विनियम, 2010 के विनियम 4 में, प्रथम अनुच्छेद के अंतिम वाक्य "असाधारण परिस्थितियों में, — पांच वर्षों" को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

“असाधारण परिस्थितियों में एक पद के मामले में जिसकी पदाधिकारी एक विभाग प्रमुख हो, केन्द्र सरकार द्वारा और विभाग प्रमुख के स्तर से नीचे अन्य कोई पद के मामले में अध्यक्ष द्वारा इसे 5 वर्षों तक विस्तार किया जा सकता है।”

[फा. सं. पीआर -12012/9/2014-पीई-1]

बरुण मित्रा, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी :- मुख्य विनियम सा.का.नि. संख्या 862 (अ) दिनांक 28-10-2010 के अनुसार प्रकाशित।

(i) तत्पश्चात् सा.का.नि. सं. 849(अ) दिनांक 25-10-2014 के अनुसार संशोधित।

## NOTIFICATION

New Delhi, the 1st July, 2016

**G.S.R. 649(E).**—In exercise of the Powers conferred by Sub-section (1) of Section 124, read with Sub-section (1) of Section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Cochin Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2016 made by the Board of Trustees for the Port of Cochin and set out in the Schedule annexed to this Notification.

2. The said Amendment Regulations shall come into force on the date of publication of this Notification in the Official Gazette.

## SCHEDULE

### COCHIN PORT TRUST

Cochin Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion)

Amendment Regulations, 2016

In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Board of Trustees of the Port of Cochin hereby makes the following regulations further to amend the Cochin Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2010 namely:-

### 1. Short Title and Commencement:

- (i) These Regulations may be called as the Cochin Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2016.
- (ii) They shall come into force on the date of publication of the approval of the Central Government as required under the provisions of Section 124 and 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 in the Gazette of India.

2. In the Cochin Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2010, in Regulation 4, the last sentence of paragraph 1 “In exceptional circumstances, ----- five years” shall be substituted by the following:-

“In exceptional circumstances, this can be extended to 5 years by the Central Government in case of a post, the incumbent of which is regarded as the Head of a Department; and in the case of any other post below the level of Head of Department by the Chairman.”

[F. No. PR-12012/9/2014-PE-1]

BARUN MITRA, Jt. Secy.

**Foot Note:-** Principal Regulations published vide G.S.R. No. 862(E) dated 28.10.2010.

(i) Subsequently amended vide G.S.R. 849(E) dt.25-10-2014

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2016

**सा.का.नि. 650(अ).**—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा -132 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, मुरगांव पत्तन न्यास के न्यासी मंडल द्वारा बनाए गए मुरगांव पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता तथा पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2016 को एतद्वारा अनुमोदन देती है तथा यह इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में निर्धारित है।

2. कथित संशोधन विनियम राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

**अनुसूची****मुरगांव पत्तन न्यास**

मुरगांव पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता व पदोन्नति) संशोधन विनियम 2016

महापत्तन पत्तन न्यास अधिनियम 1963 (1963 की धारा 38) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुरगांव पत्तन न्यास का न्यासी मंडल, मुरगांव पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता व पदोन्नति) विनियम 2010 में आगे और संशोधन करने हेतु निम्नवत विनियम बनाता है, यथा :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :-**

(i) इन विनियमों को मुरगांव पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता व पदोन्नति) संशोधन विनियम 2016 कहा जाए।

(ii) ये विनियम महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 की धारा 124 तथा 132 के उपबन्धों के अधीन यथा आवश्यक केन्द्र सरकार का अनुमोदन भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होंगे।

2. मुरगांव पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता व पदोन्नति) विनियम, 2010 में, विनियम -4 के पैरा -1 के अंतिम वाक्य "आपवादिक स्थिति में ----- बढ़ायी जा सकती है" को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाए :-

"आपवादिक स्थिति, में यदि ऐसा पद जिसके पदधारी विभागाध्यक्ष है, के मामले में केन्द्र सरकार द्वारा तथा विभागाध्यक्ष स्तर से नीचेवाले किसी अन्य पद के मामले में यह अवधि अध्यक्ष द्वारा पांच वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है।

[फा. सं. पीआर -12012/9/2014-पीई-1]

बरुण मित्रा, संयुक्त सचिव

**पाद टिप्पणी :** सा.का.नि. सं. 467(अ) दि. 04/06/2010 में प्रकाशित मूल विनियम

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st July, 2016

**G.S.R. 650(E).**—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 124, read with Sub-Section (1) of Section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Mormugao Port Trust Employees' (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2016 made by the Board of Trustees for the Port of Mormugao and are set out in the Schedule annexed to this Notification.

2. The said Amendment Regulations shall come into force on the date of publication of this Notification in the Official Gazette.

**SCHEDULE****MORMUGAO PORT TRUST****Mormugao Port Trust Employees' (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2016.**

In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Major Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Board of Trustees of the Port of Mormugao hereby makes the following Regulations further to amend the Mormugao Port Trust Employees' (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2010, namely:-

**1. Short Title and Commencement:**

- (i) These Regulations may be called as the Mormugao Port Trust Employees' (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2016.
- (ii) They shall come into force on the date of publication of the approval of the Central Government as required under the provisions of Section 124 and 132 of Major Port Trusts Act, 1963 in the Gazette of India.

2. In the Mormugao Port Trust Employees' (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2010, in Regulation 4, the last sentence of paragraph one "In exceptional circumstances, ----- five years," shall be substituted by the following:-

"In exceptional circumstances, this can be extended to 5 years by the Central Government in case of a post, the incumbent of which is regarded as the Head of a Department; and in the case of any other post below the level of Head of Department by the Chairman."

[F. No. PR-12012/9/2014-PE-I]

BARUN MITRA, Jt. Secy.

**Foot Note:** Principal Regulations published vide G.S.R. No. 467(E) dated 04/06/2010.

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2016

**सा.का.नि. 651(अ).**—महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उप धारा (1) के साथ पठित, धारा 124 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, व.उ.चिदम्बरनार के पत्तन के बोर्ड के न्यासीगण द्वारा, बनाए गए तूत्तुकुडि पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2016 को एतद्वारा अनुमोदन देती है और इस अधिसूचना के साथ संलग्नित अनुसूची में निर्दिष्ट हैं ।

2. उक्त संशोधित विनियम, सरकारी राजपत्र में, इस अधिसूचना के प्रकाशन होने की तारीख से प्रभावी होंगे ।

**अनुसूची**

**व.उ.चिदम्बरनार पत्तन न्यास**

**तूत्तुकुडि पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति)**

**संशोधन विनियम, 2016**

महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, व.उ.चिदम्बरनार पत्तन के बोर्ड के न्यासीगण, एतद्वारा, तूत्तुकुडि पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) विनियम, 2008 को, और आगे संशोधन करने हेतु, निम्नलिखित विनियम बनाते हैं, अर्थात् :-

**1. लघु भीर्षा एवं प्रारंभ :**

- (i) ये विनियम, तूत्तुकुडि पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2016 कहे जाएं ।
  - (ii) ये, भारत के राजपत्र में, महा पत्तन न्यास अधिनियम 1963 की धारा 124 एवं 132 के प्रावधानों के अधीन, आवश्यकतानुसार, केन्द्र सरकार के अनुमोदन से प्रकाशन होने की तारीख से प्रभावी होंगे ।
2. तूत्तुकुडि पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) विनियम, 2008 में विनियम 4 में अनुच्छेद 1 में, "असाधारण परिस्थितियों में, इसे पाँच साल के लिए बढ़ाया जा सकता है।" शब्दों के बाद निम्नलिखित को जोड़ा जाए :-

"केन्द्र सरकार द्वारा एक पद के मामले में ऐसे पदाधिकारी जो विभागाध्यक्ष के रूप में माना जाता हो, और किसी भी अन्य पद विभाग प्रमुख के स्तर से नीचे के मामले में, अध्यक्ष द्वारा"

[फा. सं. पीआर -12012/9/2014-पीई- I]

बरुण मित्रा, संयुक्त सचिव

**पाद टिप्पणी :-** प्रमुख विनियम, सा.का.नि 603 (अ), दिनांकित: 21.08.2008 के जरिए राजपत्र में अधिसूचित किये गये थे ।

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st July, 2016

**G.S.R. 651(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 124, read with sub-section (1) of Section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Tuticorin Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2016 made by the Board of Trustees for the Port of V.O.Chidambaranar and set out in the Schedule annexed to this Notification.

2. The said Amendment Regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

**SCHEDULE****V.O.CHIDAMBARANAR PORT TRUST****Tuticorin Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2016**

In exercise of powers conferred under section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963, (38 of 1963), the Board of Trustees of the Port of V.O.Chidambaranar hereby makes the following regulations further to amend the Tuticorin Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2008 – namely:-

**1. Short title and commencement:**

- (i) These Regulations may be called as the Tuticorin Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2016.
- (ii) They shall come into force on the date of publication of the approval of the Central Government, as required under the provisions of Section 124 and 132 of Major Port Trusts Act, 1963, in the Gazette of India.

2. In the Tuticorin Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2008, in Regulation 4, after the words “in exceptional circumstances, this can be extended to five years”, the following shall be inserted namely:-

“by the Central Government in case of a post, the incumbent of which is regarded as the Head of Department; and in the case of any other post below the level of Head of Department by the Chairman”

[F. No. PR-12012/9/2014-PE-I]

BARUN MITRA, Jt. Secy.

**Foot Note:** The principal Regulations were Gazette Notified *vide* G.S.R. 603(E) dated 21.08.2008

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2016

**सा.का.नि. 652(ब).**—सहापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए केंद्र सरकार जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास के न्यासी मंडल द्वारा बनाई और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में निर्धारित किए अनुसार जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) संशोधन विनियमावली, 2016 को अनुमोदन देती है

2. उक्त संशोधित विनियमावली इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होगी।



**अनुसूची****जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास****जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) संशोधन****विनियमावली, 2016**

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास का न्यासी मंडल जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) विनियमावली, 2011 को फिर से संशोधित करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, यथा :

**(1) संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :**

- (i) इस विनियमावली का नाम "जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) संशोधन विनियमावली, 2016" होगा।
- (ii) यह विनियमावली महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 की धारा 124 एवं 132 के उपबन्धों के अंतर्गत आवश्यक केन्द्र सरकार द्वारा दी गई मंजूरी के भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होगी।

**(2) जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) विनियमावली, 2011 के विनियम 4 के पहले अनुच्छेद के आखिरी वाक्य में "असाधारण परिस्थितियों में - - - 5 वर्ष" को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:**

**"असाधारण अवस्था अपवादी परिस्थितियों में इसे, विभागाध्यक्ष के समकक्ष पद के मामले में केन्द्र सरकार द्वारा और विभागाध्यक्ष से नीचे के किसी पद के मामले में अध्यक्ष द्वारा 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।**

[फा. सं. पीआर-12012/9/2014-पीई-1]

बरुण मित्रा, संयुक्त सचिव

**टिप्पणी :** प्रधान विनियमावली दि. 21 जनवरी, 2011 को सं. साकानि 43(स्था.) के अंतर्गत प्रकाशित की गई थी।

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st July, 2016

**G.S.R. 652(E).**—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 124, read with Sub-section (1) of Section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Jawaharlal Nehru Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2016 made by the Board of Trustees for the Port of Jawaharlal Nehru and set out in the Schedule annexed to this Notification.

2. The said Amendment Regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

**SCHEDULE****JAWAHARLAL NEHRU PORT TRUST****Jawaharlal Nehru Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2016**

In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963(38 of 1963), the Board of Trustees of the Port of Jawaharlal Nehru hereby makes the following regulations further to amend the Jawaharlal Nehru Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotions) Regulations, 2011, namely :

**1. Short Title and Commencement :**

- (i) These Regulations may be called as the Jawaharlal Nehru Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2016.
  - (ii) They shall come into force on the date of publication of the approval of the Central Government as required under the provisions of Section 124 and 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 in the Gazette of India.
2. In the Jawaharlal Nehru Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2011, in Regulations 4, the last sentence of paragraph 1, "In exceptional circumstances --- five years," shall be substituted by the following :-

"In exceptional circumstances, this can be extended to 5 years by the Central Government in case of a post, the incumbent of which is regarded as the Head of a Department; and in the case of any other post below the level of Head of Department, by the Chairman."

[F. No. PR-12012/9/2014-PE-I]

BARUN MITRA, Jt. Secy.

**Foot Note :** Principal Regulations published vide G.S.R. 43(E) dated 21<sup>st</sup> January, 2011.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2016

**सा.का.नि. 653(अ).**—महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित, धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार पारादीप पत्तन न्यास के न्यासी बोर्ड द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में दिए गए पारादीप पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2016 का अनुमोदन करती है।

2. उक्त संशोधित विनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

**अनुसूची****पारादीप पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2016**

महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पारादीप पत्तन न्यास का न्यासी बोर्ड पारादीप पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2011 में संशोधन हेतु निम्नलिखित विनियम बनाती है; अर्थात् :-

1. (i) ये विनियम, पारादीप पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2016 कहलाएंगे।
- (ii) वे भारत के राजपत्र में महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 के प्रावधानों के तहत अपेक्षानुसार केन्द्र सरकार के अनुमोदन के प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. पारादीप पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) संशोधन विनियम 2011 में, विनियम 4 में, प्रथम पैराग्राफ के अंतिम वाक्य "असाधारण परिस्थितियों में, -पाँच वर्ष" को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाए।

"ऐसे पद के मामले में, जिसमें पदधारी विभाग प्रमुख के रूप में हो, केन्द्र सरकार द्वारा और विभाग प्रमुख स्तर से नीचे अन्य किसी पद के मामले में अध्यक्ष द्वारा असाधारण परिस्थितियों में इसे पाँच वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है।"

[फा. सं. पीआर -12012/9/2014-पीई- I]

बरुण मित्रा, संयुक्त सचिव

**नोट-** मूल विनियम को भारत के राजपत्र के असाधारण संस्करण में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 386(अ) दि.14 मई, 2011 द्वारा प्रकाशित किया जा चुका है।

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st July, 2016

**G.S.R. 653(E).**—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 124, read with Sub-section (1) of Section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Paradip Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2016 made by the Board of Trustees for the Port of Paradip and set out in the Schedule annexed to this Notification.

2. The said Amendment Regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

**SCHEDULE****Paradip Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2016**

In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Major Port Trusts Acts, 1963 (38 of 1963), the Board of Trustees of the Port of Paradip hereby makes the following Regulations to amend the Paradip Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2011, namely :-

1. (i) These Regulations may be called as the Paradip Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2016.
- (ii) They shall come into force on the date of publication of the approval of the Central Government as required under the provisions of Section 124 and 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 in the Gazette of India.
2. In the Paradip Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2011 in Regulation 4, at the end of the provision after the words "extended to five years" the words, "by the Central Government in case of a post, the incumbent of which is regarded as the Head of a Department; and in the case of any other post below the level of Head of Department by the Chairman" shall be added.

[F. No. PR-12012/9/2014-PE-I]

BARUN MITRA, Jt. Secy.

**Note:** The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, notification number G.S.R. 386(E) dated the 14<sup>th</sup> May, 2011.

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2016

**सा.का.नि. 654(अ).**—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 के 38) की धारा 132 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्वारा विशाखापट्टणम पोर्ट ट्रस्ट के न्यासी मंडल द्वारा बनाए गए विशाखापट्टणम पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2016 को इस अधिसूचना के साथ सलग्न यथा अनुसूचित अनुमोदित करती है।

उक्त विनियम सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।

**अनुसूची**

विशाखापट्टणम पोर्ट ट्रस्ट

विशाखापट्टणम पोर्ट ट्रस्ट (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2016

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए विशाखापट्टणम पोर्ट ट्रस्ट के न्यासी मंडल एतद्वारा विशाखापट्टणम पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) विनियम, 2009 में और संशोधन करते हुए निम्न विनियम बनाता है।

**1. लघु शीर्षक एवं आरंभ**

- (i) ये विनियम विशाखापट्टणम पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) संशोधित विनियम, 2016 कहे जाएंगे।

- (ii) ये विनियम, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 एवं 132 के प्रावधानों के अंतर्गत यथा अपेक्षित केंद्र सरकार का अनुमोदन भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे।
2. विशाखापट्टणम पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) विनियम, 2009 में, विनियम 4 में, पैराग्राफ एक का अंतिम वाक्य "विशेष परिस्थितियों में, ..... पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है" को निम्नलिखित से बदला जाएगा :-  
 "विशेष परिस्थितियों में, ऐसे पद के मामले में जिसका पदग्राही विभागाध्यक्ष माना जाए केंद्र सरकार और विभागाध्यक्ष से नीचे किसी भी अन्य पद के मामले में अध्यक्ष द्वारा इसे 5 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है।"

[फा. सं. पीआर -12012/9/2014-पीई- I]

बरुण मित्रा, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी : प्रमुख विनियम सा.का.नि. सं. 601(अ) दिनांक 27/08/2009 द्वारा प्रकाशित।

(i) सा.का.नि. सं. 396(अ) दिनांक 14/06/2013 द्वारा

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 1st July, 2016

**G.S.R. 654(E).**—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 124, read with Sub-section (1) of Section 132 of the Major Port Trust Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Visakhapatnam Port Trust Employees' (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2016 made by the Board of Trustees for the Port of Visakhapatnam and set out in the Schedule annexed to this Notification.

2. The said Amendment Regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

#### SCHEDULE

##### VISAKHAPATNAM PORT TRUST

(Visakhapatnam Port Trust Employees' (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2016

In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Board of Trustees of the Port of Visakhapatnam hereby makes the following regulations further to amend the Visakhapatnam Port Trust Employees' (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2009 namely:-

#### 1. Short Title and Commencement:

- (i) These Regulations may be called as the Visakhapatnam Port Trust Employees' (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2016.
- (ii) They shall come into force on the date of publication of the approval of the Central Government as required under the provisions of Section 124 and 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 in the Gazette of India.

2. In the Visakhapatnam Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2009, in Regulations 4, after the words "In exceptional circumstances, this can be extended to five years", following shall be inserted namely:-

"by the Central Government in case of a post, the incumbent of which is regarded as the Head of a Department; and in the case of any other post below the level of Head of Department by the Chairman."

[F. No. PR-12012/9/2014-PE-I]

BARUN MITRA, Jt. Secy.

**Foot Note:** Principal Regulations Published vide G.S.R.No. 601(E) dated 27.08.2009

(i) G.S.R. No. 396 (E) dated 14/06/2013.

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2016

**सा.का.नि. 655(अ).**—केन्द्र सरकार, महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नव मंगलूर पत्तन के न्यासी मंडल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में दिए गए नव मंगलूर पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरीयता व पदोन्नति) संशोधन विनियम 2016 का अनुमोदन करती है।

उक्त विनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

**अनुसूची**

नव मंगलूर पत्तन न्यास

नव मंगलूर पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरीयता व पदोन्नति) संशोधन विनियम 2016

महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नव मंगलूर पत्तन न्यास का न्यासी मंडल नव मंगलूर पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरीयता व पदोन्नति) विनियम 1980, में फिर से संशोधन करते हुए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :

**1. संक्षिप्त नाम व प्रारंभ**

(i) इन विनियमों को नव मंगलूर पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरीयता व पदोन्नति) संशोधन विनियम 2016

कहा जाएगा।

(ii) वे महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 व 132 के प्रावधान में अपेक्षित केन्द्र सरकार के अनुमोदन के भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2 नव मंगलूर पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरीयता व पदोन्नति) विनियम 2009 के विनियम 4 में पहले पैराग्राफ का अंतिम वाक्य “अपरिहार्य संदर्भों में, ..... पाँच वर्ष” निम्नलिखित के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए :

“अपरिहार्य संदर्भों में पद के मामले में, पदधारी यदि विभागाध्यक्ष के स्तर का है केन्द्र सरकार द्वारा, और अन्य किसी पद, विभागाध्यक्ष से निचले स्तर के मामले में अध्यक्ष द्वारा, इसे पाँच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।”

[फा. सं. पीआर -12012/9/2014-पीई- I]

बरुण मित्रा, संयुक्त सचिव

**पाद टिप्पणी :** मूल विनियम भारत के राजपत्र में दिनांक 27.3.1980 को सा.का.नि सं. 156 (अ) में प्रकाशित थे और बाद के संशोधन इस प्रकार हैं :

1. सा.का.नि सं. 1041(अ) दिनांक 05.12.1989	14. सा.का.नि सं. 384(अ) दिनांक 10.07.1997
2. सा.का.नि सं. 940(अ) दिनांक 07.12.1990	15. सा.का.नि सं. 429(अ) दिनांक 29.07.1997
3. सा.का.नि सं. 92(अ) दिनांक 27.02.1991	16. सा.का.नि सं. 471(अ) दिनांक 19.08.1997
4. सा.का.नि सं. 658(अ) दिनांक 31.10.1991	17. सा.का.नि सं. 334(अ) दिनांक 04.06.1998
5. सा.का.नि सं. 659(अ) दिनांक 18.11.1991	18. सा.का.नि सं. 658(अ) दिनांक 05.11.1998
6. सा.का.नि सं. 23(अ) दिनांक 15.01.1993	19. सा.का.नि सं. 667(अ) दिनांक 10.11.1998
7. सा.का.नि सं. 530(अ) दिनांक 03.08.1993	20. सा.का.नि सं. 688(अ) दिनांक 19.11.1998
8. सा.का.नि सं. 454(अ) दिनांक 12.05.1994	21. सा.का.नि सं. 717(अ) दिनांक 03.12.1998
9. सा.का.नि सं. 15(अ) दिनांक 09.01.1996	22. सा.का.नि सं. 755(अ) दिनांक 18.12.1998
10. सा.का.नि सं. 257(अ) दिनांक 27.06.1996	23. सा.का.नि सं. 777(अ) दिनांक 30.12.1998
11. सा.का.नि सं. 289(अ) दिनांक 27.06.1996	24. सा.का.नि सं. 85(अ) दिनांक 10.02.1999
12. सा.का.नि सं. 135(अ) दिनांक 06.03.1997	25. सा.का.नि सं. 86(अ) दिनांक 10.02.1999
13. सा.का.नि सं. 136(अ) दिनांक 06.03.1997	26. सा.का.नि सं. 90(अ) दिनांक 10.02.1999

27. सा.का.नि सं. 297(अ) दिनांक 29.04.1999	45. सा.का.नि सं. 728(अ) दिनांक 18.09.2000
28. सा.का.नि सं. 325(अ) दिनांक 10.05.1999	46. सा.का.नि सं. 729(अ) दिनांक 18.09.2000
29. सा.का.नि सं. 350(अ) दिनांक 14.05.1999	47. सा.का.नि सं. 776(अ) दिनांक 06.10.2000
30. सा.का.नि सं. 365(अ) दिनांक 19.05.1999	48. सा.का.नि सं. 777(अ) दिनांक 06.10.2000
31. सा.का.नि सं. 366(अ) दिनांक 19.05.1999	49. सा.का.नि सं. 857(अ) दिनांक 09.11.2000
32. सा.का.नि सं. 418(अ) दिनांक 08.06.1999	50. सा.का.नि सं. 365(अ) दिनांक 16.05.2001
33. सा.का.नि सं. 587(अ) दिनांक 12.08.1999	51. सा.का.नि सं. 318(अ) दिनांक 02.05.2002
34. सा.का.नि सं. 595(अ) दिनांक 18.08.1999	52. सा.का.नि सं. 846(अ) दिनांक 28.10.2003
35. सा.का.नि सं. 4(अ) दिनांक 01.01.2000	53. सा.का.नि सं. 282(अ) दिनांक 23.04.2004
36. सा.का.नि सं. 8(अ) दिनांक 01.01.2000	54. सा.का.नि सं. 406(अ) दिनांक 16.06.2005
37. सा.का.नि सं. 9(अ) दिनांक 01.01.2000	55. सा.का.नि सं. 468(अ) दिनांक 12.07.2005
38. सा.का.नि सं. 10(अ) दिनांक 01.01.2000	56. सा.का.नि सं. 48(अ) दिनांक 03.02.2006
39. सा.का.नि सं. 105(अ) दिनांक 10.02.2000	57. सा.का.नि सं. 242(अ) दिनांक 24.04.2006
40. सा.का.नि सं. 130(अ) दिनांक 16.02.2000	58. सा.का.नि सं. 463(अ) दिनांक 04.08.2006
41. सा.का.नि सं. 131(अ) दिनांक 16.02.2000	59. सा.का.नि सं. 75(अ) दिनांक 05.02.2009
42. सा.का.नि सं. 232(अ) दिनांक 08.03.2000	60. सा.का.नि सं. 77(अ) दिनांक 06.02.2009
43. सा.का.नि सं. 512(अ) दिनांक 31.05.2000	61. सा.का.नि सं. 393(अ) दिनांक 16.05.2014
44. सा.का.नि सं. 557(अ) दिनांक 22.06.2000	62. सा.का.नि सं. 626(अ) दिनांक 28.08.2014

### NOTIFICATION

New Delhi, the 1st July, 2016

**G.S.R. 655(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 124, read with sub-section (1) of Section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963, (38 of 1963), the Central Government hereby approves the New Mangalore Port Trust Employees' (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2016 made by the Board of Trustees for the Port of New Mangalore and set out in the Schedule annexed to this Notification.

The said Amendment Regulations shall come into force on the date of publication of this Notification in the Official Gazette.

### SCHEDULE

#### NEW MANGALORE PORT TRUST

New Mangalore Port Trust Employees' (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2016.

In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Board of Trustees of the Port of New Mangalore hereby makes the following regulations further to amend the New Mangalore Port Trust Employees' (Recruitment, Seniority and Promotions) Regulations, 2009, namely:

#### 1. **Short Title and Commencement**

- (i) These Regulations may be called the New Mangalore Port Trust Employees' (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2016.

- (ii) They shall come into force on the date of publication of the approval of the Central Government as required under the provisions of Section 124 and 132 of Major Port Trust Act, 1963 in the Gazette of India.
2. In the new Mangalore Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2009, in Regulation 4, the last sentence of paragraph one "In exceptional circumstances,-----five years." Shall be substituted by the following:-

"In exceptional circumstances, this can be extended to 5 years by the Central Government in case of a post, the incumbent of which is regarded as the Head of a Department; and in the case of any other post, below the level of Head of Department by the Chairman".

[F. No. PR-12012/9/2014-PE-I]

BARUN MITRA, Jt. Secy.

**Foot Note:** Principal Regulations published vide G.S.R. No. 156(E) dated 27.3.1980 and subsequently amended vide:

- |                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. GSR No. 1041(E) dtd. 05.12.1989 | 28. GSR No.325 (E) dtd. 10.05.1999  |
| 2. GSR No. 940 (E) dtd. 07.12.1990 | 29. GSR No.350 (E) dtd. 14.05.1999  |
| 3. GSR No. 92(E) dtd. 27.02.1991   | 30. GSR No.365 (E) dtd. 19.05.1999  |
| 4. GSR No.658 (E) dtd. 31.10.1991  | 31. GSR No.366 (E) dtd. 19.05.1999  |
| 5. GSR No.659 (E) dtd. 18.11.1991  | 32. GSR No.418 (E) dtd. 08.06.1999  |
| 6. GSR No.23 (E) dtd. 15.01.1993   | 33. GSR No.587 (E) dtd. 12.08.1999  |
| 7. GSR No.530 (E) dtd. 03.08.1993  | 34. GSR No.595 (E) dtd. 18.08.1999  |
| 8. GSR No.454 (E) dtd. 12.05.1994  | 35. GSR No.4 (E) dtd. 01.01.2000    |
| 9. GSR No.15 (E) dtd. 09.01.1996   | 36. GSR No.8 (E) dtd. 01.01.2000    |
| 10. GSR No.257 (E) dtd. 27.06.1996 | 37. GSR No.9 (E) dtd. 01.01.2000    |
| 11. GSR No.289 (E) dtd. 27.06.1996 | 38. GSR No.10 (E) dtd. 01.01.2000   |
| 12. GSR No.135 (E) dtd. 06.03.1997 | 39. GSR No.105 (E) dtd. 10.02.2000  |
| 13. GSR No.136 (E) dtd. 06.03.1997 | 40. GSR No.130 (E) dtd. 16.02.2000  |
| 14. GSR No.384 (E) dtd. 10.07.1997 | 41. GSR No.131 (E) dtd. 16.02.2000  |
| 15. GSR No.429 (E) dtd. 29.07.1997 | 42. GSR No.232 (E) dtd. 08.03.2000  |
| 16. GSR No.471 (E) dtd. 19.08.1997 | 43. GSR No.512 (E) dtd. 31.05.2000  |
| 17. GSR No.334 (E) dtd. 04.06.1998 | 44. GSR No.557 (E) dtd. 22.06.2000  |
| 18. GSR No.658 (E) dtd. 05.11.1998 | 45. GSR No.728 (E) dtd. 18.09.2000  |
| 19. GSR No.667 (E) dtd. 10.11.1998 | 46. GSR No.729 (E) dtd. 18.09.2000  |
| 20. GSR No.688 (E) dtd. 19.11.1998 | 47. GSR No.776 (E) dtd. 06.10.2000  |
| 21. GSR No.717 (E) dtd. 03.12.1998 | 48. GSR No.777 (E) dtd. 06.10.2000  |
| 22. GSR No.755 (E) dtd. 18.12.1998 | 49. GSR No.857 (E) dtd. 09.11.2000  |
| 23. GSR No.777 (E) dtd. 30.12.1998 | 50. GSR No.365 (E) dtd. 16.05.2001  |
| 24. GSR No.85 (E) dtd. 10.02.1999  | 51. GSR.No.318 (E) dtd. 02.05.2002  |
| 25. GSR No.86 (E) dtd. 10.02.1999  | 52. GSR No. 846 (E) dtd. 28.10.2003 |
| 26. GSR No.90 (E) dtd. 10.02.1999  | 53. GSR No. 282 (E) dtd. 23.04.2004 |
| 27. GSR No.297 (E) dtd. 29.04.1999 | 54. GSR No.406 (E) dtd. 16.06.2005  |

---

55. GSR No.468 (E)	dtd. 12.07.2005	59. GSR No.75(E)	dtd.05.02.2009
56. GSR No.48 (E)	dtd. 03.02.2006	60. GSR No.77(E)	dtd.06.02.2009
57. GSR No.242 (E)	dtd. 24.04.2006	61. GSR No. 393(E)	dtd. 16.05.2014
58. GSR No.463 (E)	dtd. 04.08.2006	62. GSR No. 626(E)	dtd. 28.08.2014